भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3000

उत्तर देने की तारीख : 07.08.2025

एमएसएमई क्षेत्र में ऋण घाटा

3000. श्री चरनजीत सिंह चन्नी:
श्री बलवंत बसवंत वानखडे:
एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जून 2025 तक एमएसएमई क्षेत्र में ऋण घाटे का अनुमान क्या है और औपचारिक ऋण माध्यमों का उपयोग करने वाले एमएसएमई का अनुपात क्या है;

(ख) उद्योग द्वारा वर्गीकृत बड़े ग्राहकों के लिए औसत भुगतान अवधि क्या है; और

(ग) एमएसएमई के ऋण प्रवाह और तरलता में सुधार, विशेष रूप से विलंबित प्राप्य राशियों के मुद्दों का समाधान करने के लिए हाल के वर्षों में क्या सुधार लागू किए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा वर्ष 2019 में गठित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर विशेषज्ञ समिति ने एमएसएमई क्षेत्र में ऋण अंतराल 20 से 25 लाख करोड़ रुपए के बीच होने का आकलन किया है।

आरबीआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में एमएसएमई खातों की संख्या नीचे दी गई है:

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) में एमएसएमई खातों की संख्या		
क्र.सं.	**वित्त वर्ष**	**खातों की संख्या (लाख में)**
1	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	213.32
2	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	256.97
3	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	243.15

स्रोत:आरबीआई

(ख) : भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में ऋण परिदृश्य को बदलने के लिए बाधारहित ऋण के लिए एकीकृत ऋण इंटरफेस (यूएलआई) विकसित किया है, जिससे दस्तावेजीकरण संबंधी आवश्यकताओं को कम करके और ऋण आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाकर ऋण को अधिक सुलभ बनाया जा सके। यूएलआई व्यक्तिगत डाटा प्रदाताओं के साथ जटिल, महंगे एकीकरण की आवश्यकता को समाप्त करता है, जिससे ऋणप्रदाताओं को त्वरित और बेहतर जानकारी के साथ ऋण निर्णय लेने में सहायता मिलती है, अनुमोदन समय में कटौती होती है और परिचालन लागत में कमी आती है।

(ग) : एमएसएमई को क्रेडिट फ्लो और लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने कई उपाय किए है। इनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

i. एमएसएमई मंत्रालय की सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) के तहत एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के कोष में 9,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कॉर्पस समावेशित किया गया था, जिससे क्रेडिट की कम लागत पर 2.00 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त क्रेडिट को सक्षम बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, सीजीएस के तहत विभिन्न श्रेणी के ऋण के लिए 90% तक के गारंटी कवरेज के साथ एमएसई के लिए गारंटी सीमा को (दिनांक 01.04.2025 से प्रभावी) 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया है।.

ii. प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम विनिर्माण और सेवा उद्यमों के लिए क्रमश: 50 लाख रुपए और 20 लाख रुपए की परियोजना लागत के साथ गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हेतु 35% तक मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान करता है।

iii. पीएम विश्वकर्मा दिनांक 17.09.2023 को 18 पारंपरिक व्यापारों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों जो अपने हाथों और औजारों से काम करते हैं, को सम्पूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इस स्कीम में 8% ब्याज छूट के साथ 3 लाख रुपए तक के ऋणों का प्रावधान शामिल है।

iv. आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड की स्थापना उन एमएसएमई में इक्विटी वित्तपोषण के रूप में 50,000 करोड़ रुपए समावेशित करने के लिए की गई है, जिनमें विकसित होकर बड़ी इकाई बनने की क्षमता और संभावना है। इस कोष के तहत, भारत सरकार की ओर से 10,000 करोड़ रुपए और निजी इक्विटी/वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

v. पूरे देश में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए समय से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसई के बकाया देय की निगरानी करने हेतु दिनांक 30.10.2017 को समाधान पोर्टल की शुरुआत की थी। अभी तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 161 सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (एमएसईएफसी) स्थापित किए गए हैं। एमएसएमई मंत्रालय ने विलंबित भुगतान के मामलों के सम्पूर्ण डिजिटल समाधान प्रदान करने के लिए दिनांक 27.06.2025 को ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) पोर्टल की शुरुआत की थी।

vi. आरबीआई ने व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (ट्रेड्स) की स्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, ताकि सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) सहित कॉर्पोरेट और अन्य खरीदारों से एमएसएमई की व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण को इलेक्ट्रॉनिक रूप से कई वित्तपोषकों के माध्यम से सुगम बनाया जा सके। पांच इकाइयां वर्तमान में ट्रेड्स का संचालन कर रही हैं। कॉर्पोरेट्स और सीपीएसई के लिए ट्रेड्स पर ऑनबोर्डिंग के लिए मौद्रिक सीमा को दिनांक 07.11.2024 की अधिसूचना द्वारा 250 करोड़ के टर्नओवर तक घटा दिया है।

****